फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा

प्रकाश कुमार बनाम हिरकन वगैरा

किस्म मुकदमा– राजस्व आवेदन　　　　　　　　　　　　मुकदमा नम्बर–148/2025

तारीख हुक्म	हुक्म कार्रवाई मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.09.2025	प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मेहराराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरिए सम्मन/नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 29.09.2025 को पेश हो।	
29/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः बरामद करने राजस्व वाद सं. 149/2024 आदेश दिनांक 03/09/25 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 CPC पर बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की उक्त प्रार्थना पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि उपरोक्त उनवान का वाद न्यायालय में विचाराधीन था जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 03/09/25 को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। दिनांक 03/09/25 को वकील की अनुपस्थिति में अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज कर दी गयी जिसकी वादी वकील ने वादी को सूचना नही दी तथा वादी को उक्त बात का ज्ञान नहीं था इस कारण अदालत हाजा में उपस्थित नहीं हो सके वादी वकील ने वादी को [illegible] आने से मना कर रखा था इस कारण वादी भी उप. नही हो सका। वादी जानबूझकर अनु. नहीं हुआ बल्कि उपरोक्त कारण की वजह से उपस्थित नहीं हुआ। वकील की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती। वकील वादी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:00:21 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज

द्वारा अदम पैरवी मे खारिज करने से पूर्व वादी को सूचित भी नही किया तथा नही अदालत हजा द्वारा वादी को नोटिस दिया गया। वादी को इस बात की जानकारी तब हुई जब प्रतिवादीगण वादी के कब्जे-काश्त मे दखलअंदाजी करने लगे तब वादी ने प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि तुम्हारा दावा अदालत मे अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज हो गया तब वादी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर वाद की नकले दिनांक 25.09.25 को प्राप्त की तो वाद के खारिज होने की जानकारी हुई जानकारी प्राप्त होने की तारीख से प्रार्थना पत्र म्याद अवधि अंदर पेश है। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पुन: बरामद किए जाने का आदेश फरमावें।

अत: प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसे न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर वाद को पुन: बरामद करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinara
Date: 2025.12.02 15:00:21 IS
Reason: SelfAttested